



उत्तर प्रदेश शासन
औद्योगिक विकास अनुभाग-6
संख्या- 42/2024/2042/77-6-2024-6099/139/2023
लखनऊ : दिनांक 23 अगस्त, 2024

शुद्धि-पत्र

औद्योगिक निवेश एवं रोजगार प्रोत्साहन नीति-2017 के क्रियान्वयन हेतु योजनान्तर्गत पात्र 01 इकाई (मै0 जे0के0 सीमेन्ट लि0, अलीगढ़) के लिए शासनादेश संख्या- 35/2024/1370/77-6-2024-6099/139/2023, दिनांक 12.08.2024 द्वारा धनराशि रू0 3,43,85,898.00 की वित्तीय स्वीकृति निर्गत की गई है। अतः उक्त शासनादेश में प्रथम प्रस्तर की चतुर्थ पंक्ति में 'नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' के स्थान पर त्रुटिवश 'ब्याजमुक्त ऋण' शब्द (Clause) अंकित हो गया है।

2- अतः शासनादेश दिनांक 12.08.2024 में अंकित ब्याजमुक्त ऋण के स्थान पर 'नेट एस0जी0एस0टी0 की प्रतिपूर्ति' पढ़ा जाए।

3- उक्त शासनादेश दिनांक 12.08.2024 को उक्त सीमा तक संशोधित समझा एवं पढ़ा जाए। उक्त शासनादेश के शेष शर्तें व प्रतिबन्ध यथावत लागू रहेगी।

ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

संख्या-42/2024/2042(1)/77-6-2024-6099/139/2023, तददिनांक।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

1. महालेखाकार(लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उ०प्र०, प्रयागराज।
2. मुख्य कोषाधिकारी, लखनऊ।
3. अपर मुख्य सचिव सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम तथा निर्यात प्रोत्साहन विभाग, उ०प्र० शासन।
4. प्रबन्धक (कम्प्यूटर), पिकप को उनके पत्रांक-पिकप/आई.आई.पी.पी.-2017/डिस्ब/273 दिनांक 10 जून, 2024 के क्रम में अग्रेतर कार्यवाही सुनिश्चित किए जाने हेतु प्रेषित।
5. नोडल अधिकारी, बजट एलाटमेंट, औद्योगिक विकास विभाग, उ०प्र० शासन।
6. आयुक्त एवं निदेशक, उद्योग, उद्योग निदेशालय, कानपुर।
7. निदेशक, वित्तीय सांख्यिकीय निदेशालय, जवाहर भवन, लखनऊ।
8. वित्त(आय-व्ययक) अनुभाग-1/4
9. वित्त(व्यय-नियंत्रण) अनुभाग-6
10. नियोजन अनुभाग-1/4
11. औद्योगिक विकास अनुभाग-2
12. गार्ड फाइल।

आज्ञा से,
ओम प्रकाश यादव
संयुक्त सचिव।

-
- 1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है।
 - 2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट <http://shasanadesh.up.gov.in> से सत्यापित की जा सकती है।